

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 66 / 2015
संस्थान दिनांक 16.02.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

अकीब पिता सिकंदर नायता, आयु 19 वर्ष
निवासी-नायता मोहल्ला ठीकरी,
तहसील-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// / निर्णय //

(आज दिनांक 31.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 313/2014 अंतर्गत 279, 337, 338, भा.द.सं. तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 में दिनांक 16.02.2015 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 25.02.2014 को समय 16:15 बजे, नायदड़ रोड़, नायतों की मस्जिद के पास ठीकरी में वाहन ट्रेक्टर मेसी कम्पनी का क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2888 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत शारदा का मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन को अबीमित होते हुए चलाने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279 भा.द.सं. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 06.07.2015 को फरियादी शारदा व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 337, 338 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी शारदा के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के संबंध में किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 25.12.2014 को शाम लगभग 4:15 बजे फरियादी पेमा घर पर ही था, उसके घर के थोड़ी ही दूर पर नायतों की मस्जिद वाले रास्ते पर मोहल्ले की छोटी-छोटी लड़कियाँ खेल रही थी कि तब चिल्लाने की आवाज आई तब फरियादी घर से बाहर निकला और देखा कि सिकंदर का ट्रेक्टर चालक लेकर जा रहा था, फरियादी ने बच्ची संगीता एवं पायल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्रेक्टर चालक ने बच्ची शारदा पर ट्रेक्टर का पहिया (ट्राली का) लापरवाहीपूर्वक रिवस में लेकर चढ़ा दिया जिससे शारदा को चोट आई। शारदा को उसकी माता कुसुम, हजारीबाई व कालु ठीकरी अस्पताल लेकर गये। पुलिस ने फरियादी पेमा द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 313/2014 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 2 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान फरियादी पेमा की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया, अभियुक्त अकीब के पेश करने पर ट्रेक्टर मेसी कम्पनी का क्रमांक एम. पी. 46 ए. 2888 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.स. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.द.स. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.02.2014 को समय 16:15 बजे, नायदड़ रोड़, नायतों की मस्जिद के पास ठीकरी में वाहन ट्रेक्टर मेसी कम्पनी का क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2888 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत शारदा का मानवजीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अबीमित होते हुए चलाया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मुकेश (अ.सा.1) एवं पेमा (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में मुकेश अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता हैं। लगभग 7 माह पूर्व उसकी पुत्री शारदा को कोई ट्रैक्टर वाला टक्कर मार गया था, उस समय वह मजदूरी पर गया था। उसकी पुत्री को किसने टक्कर मारी थी, उसने नहीं देखा था। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर को भी नहीं देखा था। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री शारदा को टक्कर मार दी थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 1 में अभियुक्त द्वारा लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर उसकी पुत्री शारदा को टक्कर मारने की बात से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन कर रहा है।

8. पेमा असा 2 का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्त को जानता है। 1 वर्ष पूर्व शाम 4 बजे पीरबाबा की बेड़ी के पास ट्रैक्टर से तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी और उक्त ट्रैक्टर को अभियुक्त चला रहा था। उसने दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने ट्रैक्टर को चलाते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट एवं पुलिस कथन प्रदर्शपी 4 में उक्त बातें बताने से इंकार किया है। प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट में पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे और पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं बताये थे।

9. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये हैं। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के आहत कु. शारदा आयु 3 वर्ष के संरक्षक पिता ने अभियुक्त से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं किये हैं, तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त ट्रैक्टर को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर कु. शारदा का मानव जीवन संकटापन्न किया अथवा उक्त वाहन को अमीमित होते हुए चलाया।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279 भा.द.स. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2888 व ट्राली क्रमांक 041-2014 (सी.एम.एल.) दिनांक 08.01.2015 को उसके पंजीकृत स्वामी सिकंदर पिता बाबु खान, निवासी-ठीकरी तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुदगीनामे पर दिया गया है। उक्त सुपुदगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

